कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा मध्यप्रदेश

—:विविध—आदेशः—

(कार्य—विभाजन में संशोधन क0—10)

क्रमांक 31 /   रीवा, दिनांक 24 / 02 / 2024
दो—1—1 / 2000

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक—150 / Confdl./2024/II-3-1/2024, जबलपुर दिनांक 23 / 02 / 2024 के द्वारा सुश्री अंजली अग्रवाल चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की पदोन्नती चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के पद पर होने तथा उनके स्थान पर किसी अन्य न्यायाधीश की पदस्थापना न होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा—15 व 21 (4) तथा मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम 2011 के परिप्रेक्ष्य में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा—10 की उपधारा—2 एवं 3 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक—216 / दो—1—1 / 2000 दिनांक 17 मई 2023 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगाः—

1. सरल क्रमांक—32 के स्तम्भ क्रमांक—2 में ''चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा'' के नाम के आगे ''रिक्त न्यायालय'' लेख करते हुए स्तम्भ क्रमांक—03 एवं 04 को पूर्णतः विलोपित किया जाता है।

2. सरल क्रमांक—33 के स्तम्भ क्रमांक—04 की कंडिका 02 के पश्चात् कंडिका—03 निर्मित करते हुए निम्नलिखित इबारत जोड़ी जाती हैः—

क्र.	न्यायालय का प्रकार	प्रादेशिक अधिकार	वादों का प्रकार
33.	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर / गुढ़ / रायपुर कर्चुलियान	3. माह **मई एवं जून** में रूपये 01 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विधि कार्यवाहियां। 4. रूपये 200 मूल्य तक के लघुवाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा—09 द्वारा अधिकृत)

3. सरल क्रमांक—25 के स्तम्भ क्रमांक—2 में ''चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा'' के नाम के आगे लिखे ''रिक्त न्यायालय'' को विलोपित करते हुए स्तम्भ क्रमांक—03 में **''सिविल जिला रीवा''** को स्थापित किया जाकर स्तम्भ क्रमांक—4 में **''प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उनसे उद्भुत निष्पादन व विविध प्रकरण''** को जोड़ा जाता है।

4. परिशिष्ट—अ की कंडिका 22, 23, 28, 34 एवं 35 को विलोपित कर निम्नानुसार पढ़ा जावेः—

क्र.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में जो कार्य देखेगें
22	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा	1. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा 2. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा
23	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा	1. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा 2. पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा
24	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा	1. पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा
34	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा 2. पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
35	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा	1. पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. षष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा

शेष आदेश यथावत रहेंगे।

sd/-
(सुबोध कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्र0..1048../ रीवा, दिनांक 24/02/2024

दो–1–1/2000

प्रतिलिपिः–

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय
   रीवा/मउगंज/त्यौंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा/मउंगज/त्योंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां।
   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सिस्टम ऑफिसर की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
4. कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा को संबंधित न्यायाधीशगण के ई–मेल एड्रेस में भेजने हेतु।
5. फाईलिंग काऊंटर रीवा/मउगंज/त्यौंथर/सिरमौर/हनुमना/की ओर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)